बेदखली से पहले: वनवासियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-I (सामाजिक सशक्तिकरण), II (शासन व्यवस्था), III (संरक्षण)

द हिन्दू

26 फरवरी, 2019

"यदि प्रक्रियागत खामियों द्वारा वनवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, तो इसके लिए राज्यों को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।"

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खुद को जंगल का निवासी सिद्ध करने में विफल रहे अवैध कब्जेदारों को जंगलों से बेदखल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर में करीब 10 लाख लोगों को जंगल खाली करना पड़ सकता है। इन निवासियों को 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006' के तहत अपने दावे सिद्ध करने थे।

इस फैसले ने एक बार फिर से जैव विविधता संरक्षण के साथ जनजातीय अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की दुविधा को उजागर किया है। जब अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पारित किया गया था, तो इसे इन समुदायों के संरक्षण में पूर्ण रूप से भागीदार बनने के स्पष्टवादी लक्ष्य के साथ लाया गया था।

इसे वनों के प्रबंधक के रूप में समझा गया था, जो समय के साथ कमजोर और खंडित होता गया। वनाधिकार कानून दो किस्म के लोगों को वन में रहने का अधिकार देता है। पहले, वे जो आदिवासी हैं और जंगल में रहते हैं। दूसरे, वे जो परंपरागत रूप से वनवासी हैं तथा जंगल के उत्पादों पर पिछले 75 सालों से निर्भर हैं। कानून की धारा-6 में इन दावों को परखने की प्रक्रिया है। जिसके बाद दावा सही पाए जाने पर उन्हें वन भूमि, उसके प्रयोग और संरक्षण व सुरक्षा का अधिकार मिल जाता है।

कोर्ट ने यह आदेश जंगलों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ 'वाइल्ड लाइफ फर्स्ट' की जनहित याचिका पर दिया है, जिसने 'वन अधिकार कानून- 2006' की वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्त्ता का कहना था कि लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण से वृक्ष कटे हैं।

यह याचिका 2008 में दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि जिन लोगों के जंगल में रहने के दावे खारिज हो गए हैं, उन्हें वहां से निकाला जाए। याचिका में दावा किया गया था कि देशभर में किए गए 44 लाख दावों में 20 लाख से ज्यादा दावे खारिज हो चुके हैं। उन्हें अब 12 जुलाई तक बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। जिन 17 राज्य सरकारों को निष्कासन के लिए कहा गया है, उन्हें शीघ्रता से जवाब देना चाहिए कि क्या इसमें प्रक्रियागत खामियां थीं, जिसने आवेदकों को औपचारिक प्रक्रिया से वंचित किया, विशेष रूप से अपील करने में। हालांकि, इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है और इस संदर्भ में बड़े पैमाने पर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

इस तरह की आदर्श योजना में, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम की परिकल्पना है, वनाच्छादित क्षेत्र और उनकी जैव-विविधता समुदायों द्वारा संरक्षित की जाएगी, जिसमें वन उत्पाद केवल जीविका और जीविकोपार्जन के लिए होते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण वन के औपनिवेशिक प्रतिमान के साथ कई बाधाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे एक अपारदर्शी नौकरशाही द्वारा चलाए जा रहे संसाधन के रूप में माना जा रहा है, जो आगे चलकर सागौन या टीकवुड जैसे मोनोकल्चर के साथ कीमती पुराने विकास वाले पेड़ों की जगह ले लेता है।

वर्तमान में, जहाँ एक तरफ संसाधन के दोहन, सड़क और बांध निर्माण, बहुत सारे वन्यजीव के अवैध शिकार और मानवीय दबाव के लगातार बढ़ने के कारण परिदृश्य काफी अलग-थलग पड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में वनभूमि के लगभग 5% तक सिकुड़ गया है। इसके अलावा, मानव-पशु संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है।

वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्यकाल के दावों को सबसे पहले इस प्राथमिक परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए कि क्या वे कानूनी रूप से अभियोज्य नहीं हैं और अगर वे हैं, तो क्या वे वन और वन्यजीवों पर अतिरिक्त दबाव डालेंगे। कई क्षेत्रों में उत्तर पुनर्वास के सन्दर्भ में झूठ हो सकता है। कुछ अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में, जैसे कि पश्चिमी घाट, वैकल्पिक भूमि और नकद मुआवजे ने आदिवासियों को मूल क्षेत्रों से बाहर जाने के लिए मना लिया है।

नागरहोल नेशनल पार्क इसका एक उदाहरण है, जहां परिणाम लोगों और वन्यजीवों दोनों के लिए अच्छा रहा है और यह तीन दशकों में बाघों के घनत्व में बढ़ोत्तरी से स्पष्ट भी हो जाता है। राज्य सरकारों को मानवीय और जोरदार तरीके से ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों की घोषणा करने के लिए भी आगे आना चाहिए। यह आदिवासी निवासियों के लिए पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने में सहायता सिद्ध साबित होगा।

GS World टीम...

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खुद को जंगल का निवासी सिद्ध करने में विफल रहे अवैध कब्जेदारों को जंगलों से बेदखल किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर में करीब 10 लाख लोगों को जंगल खाली करना पड़ सकता है।
- इन निवासियों को 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के तहत अपने दावे सिद्ध करने थे।
- वन भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में है, जहां क्रमशः साढ़े तीन लाख और डेढ़ लाख लोगों के वनाधिकार दावे खारिज हुए हैं।

क्या है?

- वनों में रहने वाले कई आदिवासी परिवारों की विषम जीवन स्थिति को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 का ऐतिहासिक कानून अमल में लाया गया है।
- इस कानून को, जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को उनका वाजिब अधिकार दिलाने के लिए, जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिन्हें वन अधिकारों तथा वन भूमि में आजीविका से वंचित रखा गया है, लागू किया गया है।
- इसकी धारा-3 (1)(एच) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन क्षेत्र निवासियों (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन्य गांव, पुराने आबादी वाले क्षेत्रों, बिना सर्वेक्षण वाले गांव तथा वन क्षेत्र के अन्य गांव, भले ही वह राजस्व गांव के रूप में अधिसूचित हों या नहीं हों, इनके स्थापन एवं परिवर्तन का अधिकार यहां रहने वाले सभी अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को प्राप्त है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

क्या है?

- वन अधिकार अधिनियम (2006), वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो 18 दिसम्बर, 2006 को पास हुआ था।
- यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है जिन्हें, औपनिवेशिक काल से ही वंचित किया हुआ था।
- इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है, वहीं दूसरी ओर यह जंगलों में रहने वाले लोगों को उनके साथ सदियों तक हुए अन्याय की भरपाई का भी प्रयास है।

इस कानून के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- यह जंगलों में निवास करने वाले या वनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- जंगलों में रहने वाले लोगों तथा जनजातियों को, उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है।
- उन्हे पशु चराने तथा जल संसाधनों के प्रयोग का अधिकार देता है।
- विस्थापन की स्थिति में उनके पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है।
- जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- जंगल में रह रहे लोगों का विस्थापन केवल वन्यजीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। यह भी स्थानीय समुदाय की सहमति पर आधारित होना चाहिए।
- वन संरक्षण अधिनियम (2006) स्थानीय लोगों को भूमि पर अधिकार प्रदान कर वन संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह वन भूमि पर गैर-कानूनी कब्जों को रोकता है तथा वन संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के विस्थापन को अंतिम विकल्प मानता है। विस्थापन की स्थिति में यह लोगों का पुनर्स्थापन का अधिकार भी प्रदान करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

   1. यह वन संबंधी नियमों का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जो 18 दिसम्बर, 2006 को पारित हुआ था।
   2. यह कानून जगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिन्हें औपनिवेशिक काल से ही वंचित किया हुआ था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements regarding the Forest Right Act, 2006-**

   1. It is an important document of forest related laws, which was passed on 18th December, 2006.
   2. This law is atteched to the rights of the forest dwelling peoples on land and natural resources, which had deprived them since the colonial period.

   Which of the above statements is/are incorrect?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अनेक वनवासियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। यदि ऐसा होता है, तो संबंधित राज्यों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाने पड़ सकते हैं? चर्चा कीजिए।

Q. Recenlty the Supreme Court had deprived several forest dwellers of this rights. If this happens, then what strong steps should the concerned states need to take to deal with these challenges. Discuss.

(250 Words)

नोट : 25 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

World Committed To Excellence